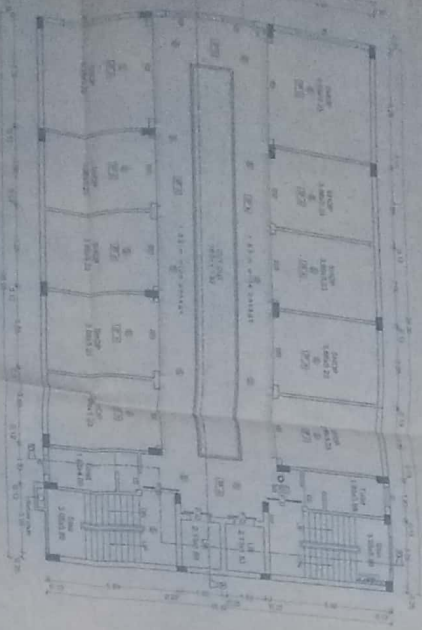


FIRST FLOOR PLAN
Scale: 1/100

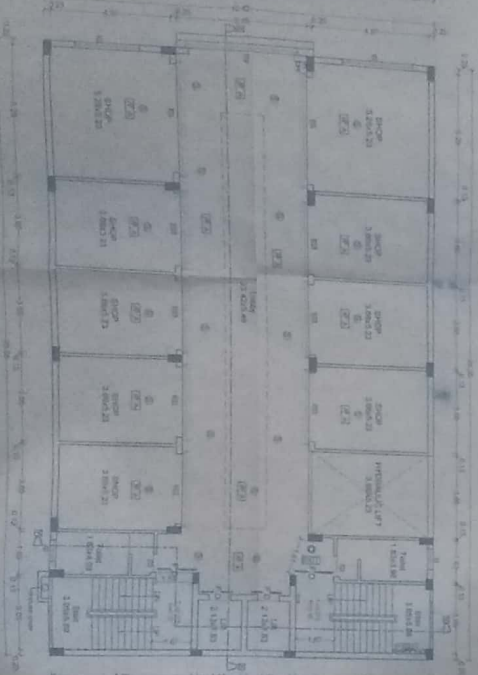


LOCATION PLAN
NOT TO SCALE



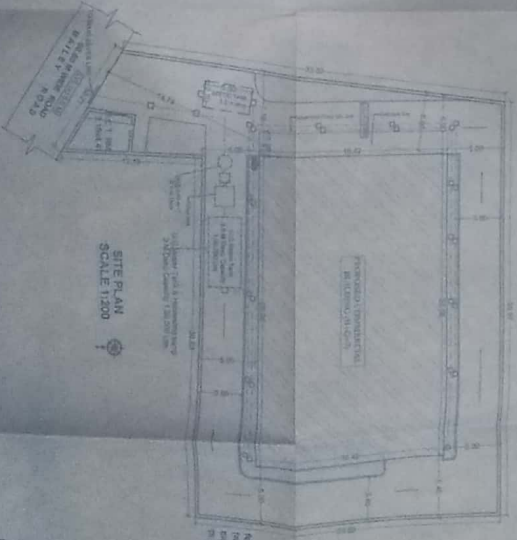
Project Name: ...
Plot No: ...
Scale: 1/100

GROUND FLOOR PLAN
Scale: 1/100



GROUND FLOOR PLAN
Scale: 1/100

SITE PLAN
Scale: 1/200



Sl. No.	Description	Remarks
1	...	...
2	...	...
3	...	...
4	...	...
5	...	...
6	...	...
7	...	...
8	...	...
9	...	...
10	...	...

PLOT DETAILS:

PROJECTED COMMERCIAL BUILDING FOR
KARTI SAKSHI CONSTRUCTION PRIVATE LTD.
S/O SRI VIKRAM SAKSHI
C/O SRI SAKSHI CONSTRUCTION PRIVATE LTD.
Plot No. 109 & 110, 111 & 112, 113 & 114
AT THANA NO. 23, MAHARAJA, BHADRA
DIST. PATNA

DR. MANOJ KUMAR
ARCHITECT

...

फारम-VIII - क
कार्यालय नगर परिषद दानापुर निजामत
भवन की योजना के अनुमोदन
उपविधि संख्या- 8(4)

आप के आवेदन संख्या- 511 तिथि- 11.08.2017 के संदर्भ में

मेसर्स गृह भूमि निर्माण प्रा० लि० एवं कृति सागर कन्स्ट्रक्शन प्रा० लि०, डाईरेक्टर-श्री सिकन्दर कुमार, पिता-श्री विद्या सागर सिंह एवं श्री अमरेश कुमार, पिता-श्री रामकृपाल सिंह, पता- बेली रोड, दानापुर, पटना।

- (क) आवासीय भवन के निर्माण
- (ख) व्यवसायीक भवन के निर्माण
- (ग) भवन के पुनःनिर्माण
- (घ) विद्यमान भवन में परिवर्तन या परिवर्धन
- (ङ) भवन के उपयोग में परिवर्तन

हेतु दानापुर नगर परिषद/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधिन स्कीम के 51/1. प्लॉट नं०- 103(P) एवं 104(P), खाता नं०- 65 एवं 172, तौजी नं०-, थाना नं०-23, मौजा-सगुना, पता-थाना-दानापुर, जिला- पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा भवन योजना जिसका प्लान केस नं०- 19/17-18 है, जिसका निर्माण क्षेत्रफल 2691.79 वर्ग मीटर एवं B+G+7 की स्वीकृति दी जाती है:-

(क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से व्यवसायीक प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 810.00 वर्ग मीटर का पार्किंग का स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 87.19 मी० चौड़ाई के अनुमोदित पहुंच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजन प्राधिकारों/ या बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार क्षेत्रों के अधिनस्थ

नगर परिषद दानापुर आयोजना क्षेत्र में 00.00 वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी उक्त उपहार के रूप में देगा।

(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(ज) इस उपबंध के अधीन दी गई अनुमति को उस भूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गई हो, के अधिकार, हक, हित बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी।

(ञ) बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली (RERA), 2017 की शर्तों के अधीन राज्य में गठित भू-सम्पदा विनियमन प्राधिकरण से इस परियोजना का निबंधन कराना अनिवार्य होगा।

(ट) अन्य शर्त

बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 एवं बिहार भवन उपविधि 2014 के संगत प्रावधानों का अक्षरसः अनुपालन करते हुये भवन निर्माण किया जायेगा।

बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास)
नियमावली 2017 (RERA) की शर्तों के अधीन
राज्य में गठित भू-सम्पदा प्राधिकरण से
इस परियोजना का निबंधन अनिवार्य होगा।

50 —

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत

ज्ञापांक:- 99...../दिनांक:- 20/12/17.....

प्रतिलिपि:- मेसर्स गृह भूमि निर्माण प्रा0 लि0 एवं कृति सागर कन्स्ट्रक्शन प्रा0 लि0, डाईरेक्टर-श्री सिकन्दर कुमार, पिता-श्री विद्या सागर सिंह एवं श्री अमरेश कुमार, पिता-श्री रामकृपाल सिंह, पता- बेली रोड, दानापुर, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत

20/12/17